

दिवंगत राज्यपाल कमला से जुड़े भूमि विवाद में आदेश रद्द

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि के स्वामित्व से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजे के तौर पर भूमि लेने के आरोपों को लेकर पूर्व राज्यपाल कमला सहित अन्य से जुड़े चर्चित मामले में एंसीजेएम क्रम 7 की ओर से 15 जुलाई 2019 को लिए प्रसंज्ञान और उसके खिलाफ पेश अपील को निरस्त करने वाले एडीजे कोर्ट के 15 अक्टूबर, 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश कमला बेनीवाल व अन्य की ओर से दायर दो आपराधिक याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विवाद याचिकाकर्ताओं को खतेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में है और यह विभिन्न अदालतों में लंबित चल रहा है। जो खतेदारी अधिकार दिए गए थे, उन्हें अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। निचली अदालत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया है। इसके अलावा निचली अदालत ने इस तथ्य की भी अनदेखी की है कि जब किसी कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए विशेष कानून है तो उस स्थिति में आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह प्रकरण सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता है।

एसएमएस अस्पताल में सर्जरी कर महिला की गर्दन से 2 किलो की गांठ निकाली

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों ने 75 वर्षीय महिला की गर्दन से करीब 2 किलो विशाल गांठ निकालकर जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत स्थिर रही और चौथे दिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

जनरल सर्जरी विभाग की सीनियर प्रोफेसर डॉ. ऋचा जैन के नेतृत्व में डॉ. मोहित, डॉ. हनुमान राम खोजा, डॉ. फारूख, डॉ. दिनेश और डॉ. अश्विता की टीम ने यह ऑपरेशन किया। एनेस्थीसिया टीम में डॉ. सुनील भाटी, डॉ. कंचन और डॉ. इंदु सहित अन्य चिकित्सकों का सहयोग रहा।

चिकित्सकों के अनुसार महिला की गर्दन में लंबे समय से गांठ थी, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई। इसका आकार इतना बढ़ गया कि दर्द और कंथा घुमाने में परेशानी होने लगी और दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित होने लगीं। ऑपरेशन के डर से महिला ने लंबे समय तक उपचार नहीं कराया। बाद में विभिन्न अस्पतालों में परामर्श के बाद उसे गांठ के बड़े आकार और ऑपरेशन के

मुख्य सचिव ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली

55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा

जयपुर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार की आर्थिक मामलात सचिव अनुराधा ठाकुर एवं मुख्य सचिव के मध्य राज्य में संचालित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति, भावी प्राथमिकताओं तथा नवाचारों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा केंद्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारियों सहित राज्य के वित्त एवं आयोजना विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु एसएनए स्पर्श तथा वित्तीय लेनदेन को त्वरित व पारदर्शी बनाने वाली साइबर ट्रेजरी प्रणाली सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर ने इन नवाचारों की सराहना करते हुए कहा



मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित हुई।

कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल है।

बैठक में कौशल विकास तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को चिह्नित करने पर विस्तृत संवाद हुआ। आर्थिक कार्य सचिव ने सुझाव दिया कि अर्बन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,

हाईवे विकास व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी पूंजी के प्रभावी एकीकरण की दिशा में कार्य किया जाए, जिस पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने जयपुर मेट्रो फेज- (एडीबी) के अंतर्गत 13 हजार करोड़

रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली 41 किमी लंबी मेट्रो लाइन (प्रहलादपुरा से टोडी मोड़) की प्रगति की समीक्षा की। द्वितीयक शहर विकास परियोजना के तहत 26 शहरों में पेयजल-सीवरेज कार्यों के 95 प्रतिशत से अधिक पूर्ण होने तथा 18 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिलने की

‘आदेशों की पालना नहीं हुई तो डीओआईटी और वित्त सचिव को तलब कर पूछेंगे सवाल’

अदालत ने कहा कि अफसरों को बदलने या निलंबित करने से कुछ नहीं बदलेगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन और उनमें मूलभूत सुविधाएँ नहीं होने से जुड़े मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि अफसरों को बदलने या निलंबित करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो व्यक्ति इनके भले का काम करने के लिए प्रेरित नहीं है, वह काम नहीं करेगा। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालती आदेश की पालना नहीं हुई तो डीओआईटी सचिव व वित्त सचिव को बुलाकर उनसे सवाल किए जाएंगे। अदालत ने कहा कि इन अफसरों से सीधे ही फंड आवंटन, मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करनी चाहिए। जस्टिस महेन्द्र गोयल व जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों

■ **हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन और उनमें मूलभूत सुविधाएँ नहीं होने से जुड़े मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई**

के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले सहित अन्य जगहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा महाधिवक्ता ने कहा कि यदि आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार के जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हो तो अफसरों को कोर्ट अफसरों को बुला सकती है। इसके सिा ही राज्य सरकार

ने अदालती निर्देशों की पालना के लिए समय मांगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार को समय देते हुए कहा कि आगामी 10 सितंबर तक एसीएस एजुकेशन अपना शपथ पत्र और उच्च शिक्षा, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा विभागों से ज़रूरी डेटा अदालत में पेश करे। अदालत ने एजी से कहा कि स्कूल भवनों को लेकर रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें जर्जर स्कूलों की संख्या बताई है। इनमें 1150 में से करीब 900 स्कूलों में क्लासरूम जर्जर हालत में है। क्या यह स्थिति सही है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि अदालत के निर्देश पर कमेटीयं बनाई हैं और कुछ अन्य कमेटी बननी हैं। जिस पर अदालत ने मंशा जताते हुए कहा कि आपको एक कमेटी बनानी चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो यह काम कर सके।

रीको को मॉडल-ए के अंतर्गत 4 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 23 आवेदन प्राप्त हुए

जयपुर। राजस्थान में विश्वस्तरीय औद्योगिक विकास को गति देने एवं निवेशकों के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार की राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। नीति के अंतर्गत मॉडल-ए में औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु निवेशकों का खासा रुझान देखने को मिला है। रीको ने निजी औद्योगिक पार्क के विकास के लिए मॉडल-ए के लिए निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। मॉडल-ए के अंतर्गत रीको को 4 औद्योगिक क्षेत्रों हेतु 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रति निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

प्राप्त आवेदनों में दौसा के राजाहेड़ा, गुडा अशोकपुरा एवं नुरपुर के लिए 10, पचपदरा, बालोरा के

■ **प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद नीति के प्रावधानों के अनुसार भूमि का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा**

वेदरलाई के लिये 7, धौलपुर के बिजौली के लिए 4 तथा बूंदी के मायेजा के लिए 2 आवेदन शामिल हैं।

कैटेगरी-ए के अंतर्गत रीको द्वारा चिन्हित स्थानों पर भूमि आवंटन के बाद निजी विकासकर्ता द्वारा औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद नीति के प्रावधानों के अनुसार भूमि का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

औद्योगिक पार्कों में सड़क, जलापूर्ति, विद्युत, ड्रेनेज, वर्षा जल संचयन, स्ट्रीट लाइटिंग सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास निजी विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगा।

इसके अतिरिक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार, इन औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी के लिए ग्रीन इंसेंटिव, कॉमन यूटिलिटी सेंटर, प्लग-एंड-प्ले कार्यालय परिसरों के लिए सहायता तथा विद्युत शुल्क, स्ट्याम शुल्क एवं रूपांतरण शुल्क में छूट/प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

रीको प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान में विश्वस्तरीय औद्योगिक वातावरण विकसित करने के लिए उल्टूट बुनियादी ढांचा, संसाधनों का बेहतर उपयोग और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

डिग्गी एवं फार्म पॉण्ड में सुरक्षा उपाय होंगे अनिवार्य

जयपुर। प्रदेश में डिग्गी, फार्म पॉण्ड (खेत तलाई) एवं अन्य जल संचयन संरचनाओं में डूबने की दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा जन एवं पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने व्यापक सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं लाभार्थियों को इन निर्देशों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक डिग्गी, फार्म पॉण्ड एवं अन्य जल संचयन संरचना के चारों कोनों पर पर्याप्त लंबाई की मजबूत रस्सी स्थायी रूप से गाड़े गए खूंटों से सुरक्षित रूप से बांधी जाएगी। रस्सी का एक सिरा पानी में छोड़ा जाएगा, ताकि किसी व्यक्ति के पानी में गिरने की स्थिति में वह रस्सी का सहारा लेकर सुरक्षित बाहर निकल सके। कम से कम 1 से 2 मप अथवा पुरानी टचयूब में हवा भरकर ‘लाइफ सेविंग प्लोट’ के रूप में रस्सी से बांधकर हमेशा पानी में उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा।

राहुल गांधी का युवाओं को लेकर दोहरा चरित्र : जोगाराम पटेल

जयपुर। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सरकार का कार्यकाल याद करना चाहिए। जब वे होटलों में बंद रहकर अपनी सरकार बचाने का जतन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अपने उपमुख्यमंत्री को नाकारा-निकम्मा कहते थे, जो किस मुंह से हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। जनता ने कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों से परेशान होकर ही भाजपा को जनादेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आज शिक्षा व्यवस्था ने सुधार सहित युवाओं को रोजगार देने में पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है।

हमारी सरकार ने परंपरागत और नकल माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और युवाओं के भविष्य

■ **विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि खुद होटलों में बंद रहे, अपने उपमुख्यमंत्री को नाकारा-निकम्मा कहा, वो किस मुंह से लगा रहे सरकार पर आरोप**

के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री जोगाराम पटेल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो युवाओं को अलग-अलग चरम से देखते हैं। भाजपा सरकार वाले राज्यों में वे युवाओं को बरगला रहे हैं।

जिलाध्यक्ष अमित गोयल का जन्मदिन मनाया

जयपुर। भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल का जन्मदिन मंगलवार को संगठन, सेवा और कार्यकर्ताओं के अपार स्नेह के बीच उत्साह एवं धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर जयपुर शहर के कोने-कोने से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं मंडल पदाधिकारी तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा जयपुर शहर कार्यालय पहुंचे और अपने जिलाध्यक्ष को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। जन्मदिन के अवसर पर अमित गोयल ने दिन की शुरुआत श्री गोविंददेवजी मंदिर एवं मोती ढूंगी गणेशजी के दर्शन कर की और भागवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए संगठन एवं समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने जन्मदिन को सेवा एवं सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए एसएमएस अस्पताल में जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को भोजन कराया।

सार-समाचार

नगर निगम ने 5 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया



जयपुर। नगर निगम जयपुर आयुक्त ओम कसेरा के निर्देशानुसार एवं पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में मंगलवार को सतर्कता शाखा की द्वारा नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में एसएमएस अस्पताल, ट्रोमा सेंटर के बाहर,

श्योपुर रोड़, मेघधन शॉपिंग सेंटर सेंटर अम्बाबाड़ी से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 5 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 6 केन्टर सामान जप्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता ने बताया कि नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में एसएमएस अस्पताल, ट्रोमा सेंटर के बाहर, श्योपुर रोड़, मेघधन शॉपिंग सेंटर सेंटर अम्बाबाड़ी से अस्थाई अतिक्रमण को हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 6 केन्टर सामान जप्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 5 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइष करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

137 फर्मों की जांच में 106 फर्म फर्जी मिली

जयपुर। वार्णिज्यिक कर विभाग द्वारा फर्जी एवं संदिग्ध फर्मों के माध्यम से कर चोरी तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुयोग के विरुद्ध पूरे प्रदेश के 16 जॉन द्वारा मिलकर सोमवार को सुबह 10:00 बजे से देर रात तक चलाए गए अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की गईं। विभागीय जांच में कुल 137 फर्मों का परीक्षण किया गया, जिनमें 106 फर्म फर्जी पाई गईं। इन फर्मों द्वारा किए गए कारोबार, के उपयोग तथा उपलब्ध लेजर की जांच में बड़े पैमाने पर कर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। विभागीय ऑफ़िसों के अनुसार चिन्हित 106 फर्जी फर्मों का कुल कारोबार 54,758.41 लाख अर्थात लगभग 547.58 करोड़ रुपए रहा। इन फर्मों से संबंधित 7,765.02 लाख (लगभग 77.65 करोड़) रुपए का जांच के दायरे में पाया गया। वहीं इन फर्मों के लेजर में उपलब्ध राशि 806.93 लाख रुपए रही तथा जांच के दौरान 464.94 लाख (लगभग 4.65 करोड़) रुपए की राशि ब्लॉक की गई। इन 106 फर्म में 78 फर्म राज्य क्षेत्राधिकार तथा 28 फर्म केंद्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पाई गईं। राज्य क्षेत्राधिकार वाली 78 फर्मों का कारोबार 46,000.59 लाख तथा संबंधित राशि 6,027.98 लाख रुपए रही, जबकि केंद्र क्षेत्राधिकार की 28 फर्मों का कारोबार 8,757.82 लाख रुपए और संबंधित राशि 1,737.04 लाख रुपए रही।

फ्लैट में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख

जयपुर। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में सिरसी रोड स्थित राजेंद्र नगर की मुस्कार रेजिडेंसी में सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि एक फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। धुएँ का गुबार भरने से तीसरी मंजिल पर एक परिवार के 7 सदस्य फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें चलने में असमर्थ 80 वर्षीय महिला को पुलिसकर्मी ने गोद में उठाकर रेस्क्यू किया। पुलिस के अनुसार घटना रात करीब 1.30 बजे की है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फ्लैट को नीरज पाठक ने गेस्ट हाउस के रूप में संचालित कर रखा था। आग लगने के बाद लफटें उड़ती देखकर अपार्टमेंट के लोग बाहर निकल आए, लेकिन धुएँ का गुबार अधिक होने से परिवार तीसरी मंजिल पर ही फंस गया। सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाने की 112 सेवा में तैनात कांस्टेबल सुरेश चंद्र और वालक मोहन सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों पुलिसकर्मी धुएँ के बीच तीसरी मंजिल पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान चलने में असमर्थ बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर बाहर लाया गया। इधर दमकल की एक गाड़ी भी मौके पर पहुंची और करीब 15 मिमिट की मशकत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से फ्लैट में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और दमकलकर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

बिना लाइसेंस वाहन किराए पर देने पर रोक

जयपुर। राजधानी में बिना वैध वार्णिज्यिक पंजीकरण और लाइसेंस के वाहन किराए पर देने तथा निजी वाहनों के गैर-कानूनी व्यावसायिक इस्तेमाल पर अब पुलिस सख्ती करेगी। किराए की गाड़ियों का आपराधिक और अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की शिकायतों के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने वाहन किराए पर देने वालों के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं। अब वाहन किराए पर लेने वाले व्यक्ति के साथ उसके सह-यात्रियों की पहचान और यात्रा से जुड़ी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पवार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसए), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश 12 अगस्त 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक अथवा इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

बदमाशों ने महिला की चेन तोड़ी

जयपुर। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की अम्बाबाड़ी स्थित बैंक कॉलोनी में बाइक सवार दो बदमाश राह चलती महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। महिला ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया और एक आरोपी की शर्ट पकड़ ली, लेकिन संघर्ष के दौरान शर्ट का एक हिस्सा महिला के हाथ में रह गया और दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। थानाधिकारी हिम्मतानेव ने बताया कि बैंक कॉलोनी में मंदिर के पास पुष्पा देवी पैदल जा रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनके पास पहुंचे। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने उतरकर महिला के गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन तोड़ ली।

जयपुर के युवा विद्वानों का परचम अब मॉरीशस में लहराएगा



आचार्य डॉ. महेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय दल आज मॉरीशस खाना होगा।

जयपुर। छोटी काशी जयपुर के विद्वानों की विद्वता और भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश अब अंतरराष्ट्रीय धरती भी गुंजेगा।

विश्वनाथ जन्ता मंदिर सोसाइटी (वीजेएमएस), गुडलैंड्स, रिपब्लिक ऑफ मॉरीशस की ओर से आयोजित श्रावण महाोत्सव-2026 में शिव प्रधानमंत्री सहित कई कैनिनेट मंत्रियों के सहभागिता करने तथा कथा श्रवण एवं यज्ञ में आहूतियां प्रदान करने की जानकारी दी गई है।

खाना होगा। आयोजन में आचार्य डॉ. महेंद्र मिश्रा व्यास पीठ से शिव कथा का प्रवचन करेंगे तथा उनके नेतृत्व में रुद्र महायज्ञ संपन्न होगा। इस दौरान भारतीय अध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान, सनातन संस्कार, संस्कृति, धर्म और जीवन मूल्यों से जुड़े विषयों पर भी उद्घोषन होंगे। आयोजन में मॉरीशस के प्रधानमंत्री सहित कई कैनिनेट मंत्रियों के सहभागिता करने तथा कथा श्रवण एवं यज्ञ में आहूतियां प्रदान करने की